भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4021
दिनांक 17.03.2026 को उत्तरार्थ

ग्राम पंचायत भवन

†4021. श्रीमती पूनमबेन माडम:
श्रीमती अनीता शुभदर्शिनीः
श्री राजपालसिंह महेंद्रसिंह जादवः
श्री देवुसिंहचौहानः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएमए) के अंतर्गत जनवरी, 2026 राज्यवार कितने ग्राम पंचायत भवन पूरे हो चुके हैं और कितने ग्राम पंचायत भवनों को कार्यात्मक बनाया गया है;
(ख) क्या 3,000 से अधिक की आबादी वाली ऐसी कोई ग्राम पंचायते हैं जिनके पास अभी भी कार्यात्मक कार्यालय भवन नहीं है;
(ग) यदि हां, तो अधूरी परियोजनाओं के कारण प्रभावित हुई ग्राम पंचायतों सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है कि सभी ग्राम पंचायतों के पास, जनसंख्या पर विचार किए बिना, पूरी तरह से कार्यात्मक और डिजिटल रूप से सक्षम कार्यालय अवसंरचना हो, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (घ) पंचायत, स्थानीय सरकार, संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का विषय है। इसका मतलब यह है कि ग्राम पंचायतों के लिए अलग कार्यालय भवन बनाना और पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना मुख्य रूप से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी होती है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना होता है कि ग्राम पंचायत भवन उपलब्ध हों और ठीक से काम कर रहे हों। इन भवनों में आम लोगों के बैठने की व्यवस्था, ग्राम सभा की बैठकों के लिए स्थान, सूचना प्रदर्शित करने के लिए नोटिस बोर्ड और बहुउद्देश्यीय कक्ष जैसी सुविधाएँ हों, ताकि पंचायतें सही तरीके से काम कर सकें और समुदाय भी उनका उपयोग कर सके।

हालांकि पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत पंचायती राज मंत्रालय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को सीमित स्तर पर सहयोग देता है। इसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान दिया जाता है। इसके तहत पंचायत अवसंरचना, कंप्यूटर और अन्य जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने में सहायता दी जाती है। पुनर्गठित आरजीएसए के अंतर्गत वर्ष 2022-23 से स्वीकृत और पूर्ण किए गए ग्राम पंचायत भवनों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 3,000 या उससे अधिक जनसंख्या वाली 4,559 ग्राम पंचायतों के पास अपना ग्राम पंचायत भवन नहीं था। इस अवसंरचना की कमी को दूर करने के लिए वित्त वर्ष

2024-25 के दौरान पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत 3,000 या उससे अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों के लिए अतिरिक्त 3,301 ग्राम पंचायत भवन स्वीकृत किए गए हैं।

पंचायती राज संस्थाओं में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का मुख्य उद्देश्य है। फिर भी, जैसा कि ऊपर बताया गया है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों और केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति की मंजूरी के आधार पर इस योजना के तहत ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण के लिए सीमित वित्तीय सहायता भी दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत,स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निधियाँ जारी की जाती हैं। इसके बाद राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अपनी प्राथमिकताओं और उपलब्ध निधियों के अनुसार योजना के अलग-अलग घटकों पर खर्च करते हैं।

मंत्रालय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को लगातार सलाह देता रहा है कि वे विभिन्न स्रोतों से धन का उपयोग और संसाधनों का समन्वय करके ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण को प्राथमिकता दें, ताकि पंचायतों की अवसंरचना मजबूत हो और वे प्रभावी रूप से कार्य कर सकें।

अनुलग्नक-I

"ग्राम पंचायत भवनों" के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4021 जिसका उत्तर दिनांक 17.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक (28.02.2026 को) संशोधित आरजीएसए के तहत अनुमोदित और निर्मित जीपी भवन की वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

क्र. स.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2022-23		2023-24		2024-25		2025-26 (28.02.2026 तक)	
		अनुमोदित	निर्मित	अनुमोदित	निर्मित	अनुमोदित	निर्मित	अनुमोदित	निर्मित *
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	617	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	939	399	0	279	400	279	0	30
3	असम	261	0	171	261	178	63	0	110
4	बिहार	500	220	0	144	0	57	0	0
5	छत्तीसगढ	54	54	0	0	210	0	70	0
6	गोवा	1	0	0	1	0	0	0	0
7	गुजरात	0	0	0	15	412	0	0	0
8	हरियाणा	383	0	0	0	509	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	292	191	0	15	33	26	18	21
10	जम्मू और कश्मीर	500	0	0	30	500	330	0	185
11	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0
12	कर्नाटक	0	0	0	0	258	0	0	0
13	केरल	7	7	0	0	0	0	0	0
14	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	50	0	0	0
15	महाराष्ट्र	513	369	363	46	500	86	0	113
16	मणिपुर	27	16	0	0	16	0	0	0
17	मेघालय	30	6	6	6	0	0	0	4
18	मिजोरम	246	16	100	17	22	29	0	30
19	नागालैंड	84	0	50	0	49	18	0	0
20	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	500	0
21	पंजाब	259	170	0	89	500	0	500	0
22	राजस्थान	43	11	0	22	0	4	6	0
23	सिक्किम	25	5	0	3	2	5	0	7
24	तमिलनाडु	0	0	0	0	146	146	0	0
25	तेलंगाना	675	493	0	77	181	14	0	11
26	त्रिपुरा	44	15	13	41	13	14	61	0
27	उत्तर प्रदेश	973	358	0	589	100	45	200	80

28	उत्तराखंड	100	20	100	108	612	75	200	96
29	पश्चिम बंगाल	0	0	35	0	82	35	87	0
संघ राज्य क्षेत्र									
30	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	2	0
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	13	13	0	0	4	0	0	3
32	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
33	लद्दाख	0	0	0	0	3	0	0	0
34	पुदुच्चेरी	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल		**5969**	**2363**	**838**	**1743**	**5397**	**1226**	**1644**	**690**

* निर्मित पंचायत भवनों की संख्या में पूर्व वर्षों के दौरान स्वीकृत पंचायत भवनों के विरुद्ध की गई प्रगति भी शामिल है।
